मुझे एक कारीगर के रूप में मान्यता दो, मुझे कारीगर पहचान पत्र दो।

मैं एक घरखाता कारीगर हूं। कारीगर होने से मुझे किसी तरह की पेशेवर पहचान नहीं मिलती। न तो मुझे एक मजदूर के रूप में मान्यता मिलती और न ही मुझे सामाजिक सुरक्षा का मेरा अधिकार मिलता है। मैं जानता हूं कि अपने बच्चों को अपने साथ काम पर लगाकर मैं उन्हें उनके बचपन से महरूम कर रहा हूं और उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा हूं मगर ज्यादा से ज्यादा माल पैदा करने के भारी दबाव की वजह से मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। निरंतर संघर्ष के बावजूद मेरे लिए घर का दो वक्त का खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2005 में कारीगर कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया था। तब मेरे जैसे बहुत सारे परिवारों को इस बात से काफी तसल्ली मिली थी क्योंकि इस कार्ड से कम से कम मुझे एक कारीगर के रूप में पहचान मिल जाती और बहुत सारे सरकारी फायदों तक पहुंच का आश्वासन मिल जाता। अब उस आश्वासन को भी नौ साल बीत चुके हैं! मुझे मेरा कारीगर कार्ड आज तक नहीं मिला।

एक कारीगर के रूप में पंजीकरण से मुझे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, दो लाख रुपये तक के बैंक कर्जे, दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में बीमा कवरेज और सामूहिक बीमा (मेरे परिवार सहित) जैसे कई लाभ मिल सकते हैं। मैं हथकरघा मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही दूसरी योजनाओं के तहत भी लाभ ले सकता हूं और देश भर में होने वाले किसी भी दस्तकार मेले में निःशुल्क स्टॉल लगा सकता हूं।

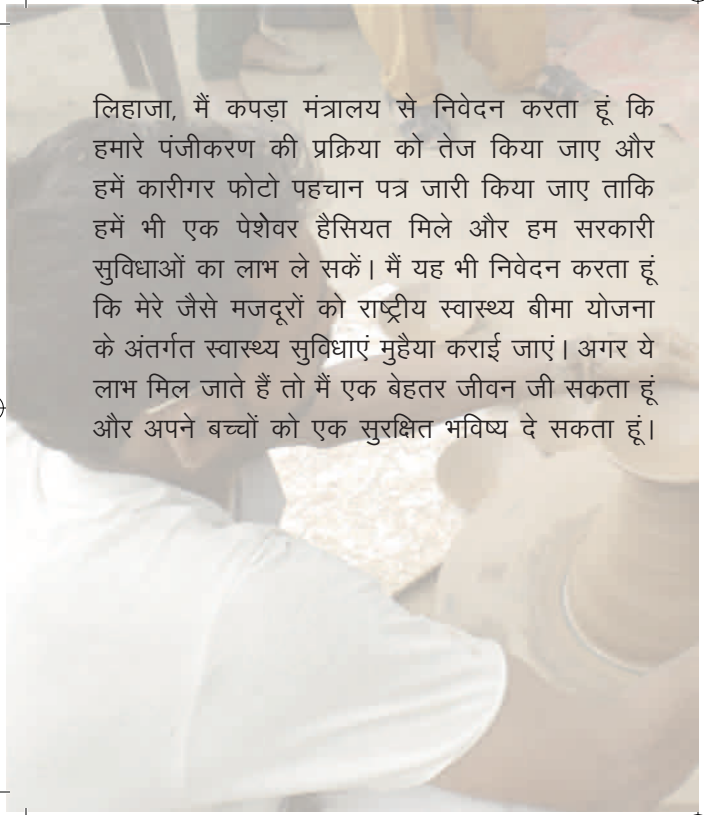

लिहाजा, मैं कपड़ा मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि हमारे पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए और हमें कारीगर फोटो पहचान पत्र जारी किया जाए ताकि हमें भी एक पेशेवर हैसियत मिले और हम सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकें। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि मेरे जैसे मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। अगर ये लाभ मिल जाते हैं तो मैं एक बेहतर जीवन जी सकता हूं और अपने बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकता हूं।

POST CARD

सेवा में

श्री संतोष कुमार गंगवार

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

कपड़ा मंत्रालय

उद्योग भवन

नई दिल्ली - 110011